(५२)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
97/2025	09/04/2025	14/08/2025

1. नरेश कंवर पत्नी भवानी सिंह जाति राजपुत निवासी भीमावास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

वादी

बनाम

1. रघूवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपुत निवासी भीमावास तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।
2. तहसीलदार महोदय जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयन महोदय तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामजीलाल मीना :– वकील वादी।

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रामजीलाल मीना ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 175 रकबा 4.9600है0 स्थित ग्राम भीमावास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जाकाश्त को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 26.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमावास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

(42)

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
40	नरेश कंवर पत्नि भवानी सिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ, रघुवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह हि0 1/2 जाति राजपुत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हि0 1/2 (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां।	174 175	0.0100 4.9600	गै0मु0चाह चाही 3	— 59.52
	योग	किता 2	4.9700	—	59.52

—: प्रस्तावित :—

क्र0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	नरेश कंवर पत्नि भवानी सिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ,	175/1	2.4500	चाही 3	29.40
	योग	किता 1	2.4500	चाही 3	29.40
2	रघुवीर सिंह पुत्र भंवरसिह हि0 पूर्ण जाति राजपुत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां।	175/3	2.4500	चाही 3	29.40
	योग	किता 1	2.4500	चाही 3	29.40
3	शामलाती रकबा (हिस्सा पूर्वानुसार)	175/2 174	0.0600 0.0100	चाही 3 गै.मु.चाह	0.72 —
	योग	किता 2	0.0700	—	29.40

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

नरेश कंवर बनाम रघुवीर सिंह वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 97/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री रामजीलाल मीना अधिवक्ता वादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भीमांवास, पटवार हल्का सामरेड कलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
40	नरेश कंवर पत्नि भवानी सिंह हि0 1/2 जाति राजपूत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ, रघुवीर सिंह पुत्र भंवरसिह हि0 1/2 जाति राजपुत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हि0 1/2 (पूर्ण खाता) इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां।	174 175	0.0100 4.9600	गै0मु0चाह चाही 3	– 59.52
	योग	किता 2	4.9700	–	59.52

–: प्रस्तावित :–

क0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	नरेश कंवर पत्नि भवानी सिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा जमवारामगढ,	175/1	2.4500	चाही 3	29.40
	योग	किता 1	2.4500	चाही 3	29.40
2	रघुवीर सिंह पुत्र भंवरसिह हि0 पूर्ण जाति राजपुत सा0 जयपुर खातेदार राहिन हि0 पूर्ण इलाहाबाद बैंक शाखा सामरेड कलां।	175/3	2.4500	चाही 3	29.40
	योग	किता 1	2.4500	चाही 3	29.40
3	शामलाती रकबा (हिस्सा पूर्वानुसार)	175/2 174	0.0600 0.0100	चाही 3 गै.मु.चाह	0.72 –
	योग	किता 2	0.0700	–	29.40

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिकी आज दिनांक 14/08/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18—21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:— 97 / 2025 दायर दिनांक 09.04.2024

नरेश कंवर बनाम रघूवीरसिंह वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 26.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री रामजीलाल मीना वकील वादीगण निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम भीमावास, पटवार हल्का सामरेडकलां, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 175 रकबा 4.9600है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4. 9700है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस—नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग—अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन—तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 26 / 05 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner